


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हनुमान बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अपील संख्या 704 / 2020(जीसीएमएस नम्बर 2020 / 00588)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.07.22	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित उनकी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्त की अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में निर्णय दिनांक 15.11.2017 के माध्यम से खारिज किया गया है जिससे प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2017 को खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्त की अपील को रेस्टोर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्त की अपील को पुनः नम्बर पर ली जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे। न्यायालय हाजा की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ़्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (विकास एस.भाले) संभागीय आयुक्त, जयपुर। </p>	